

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर 2013—भाद्र 28, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

सूचना

क्र. एफ-3-24-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गोहद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका गोहद, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 19 सितम्बर 2013 से प्रवर्तित होगी।

सूचना

क्र. एफ-3-27-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका दमोह, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 19 सितम्बर 2013 से प्रवर्तित होगी।

सूचना

क्र. एफ-3-10-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बैतूल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय बैतूल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका बैतूल, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 19 सितम्बर 2013 से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. एफ-3-24-2013-बत्तीस, एफ-3-27-2013-बत्तीस, एफ-3-10-2013-बत्तीस..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-24-2013-बत्तीस, एफ-3-27-2013-बत्तीस, एफ-3-10-2013-बत्तीस, तारीख 19 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 19th September 2013

No. F-3-24-2013-XXXII.—Notice under-section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Gohad, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, nemaly :—

1. Collector, Bhind District Bhind, Madhya Pradesh.
 2. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. Office Bhind, Madhya Pradesh.
 3. C.M.O., Municipal Council, Gohad, Madhya Pradesh.
2. The Said development plan shall come into operation with effect from the date 19th September 2013 of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under-section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

NOTICE

No. F-3-27-2013-XXXII.—Notice under-section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Damoh, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, nemaly :—

1. Collector, Damoh District Damoh, Madhya Pradesh.
 2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Sagar, Madhya Pradesh.
 3. C.M.O., Municipal Council, Damoh, Madhya Pradesh.
2. The Said development plan shall come into operation with effect from the date 19th September 2013 of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under-section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

NOTICE

No. F-3-10-2013-XXXII.—Notice under-section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Betul 2021 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, nemaly :—

1. Collector, Betul District Betul, Madhya Pradesh.
 2. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. Office Batul, Madhya Pradesh.
 3. C.M.O., Municipal Council, Betul, Madhya Pradesh.
2. The Said development plan shall come into operation with effect from the date 19th September 2013 of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under-section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.